Appendix VII

FIRE SAFETY CERTIFICATE

No. **Dated:** 10·6·21

Certified that the Delhi Public School Hazaribag............ (name of the building or premises) at Shankarpur, Barkagaon Road, Hazaribagh, Jharkhand..... (address) comprised of ......Ground Floor........ basement(s) and First, Second & Third Floor.......................... (upper floors) owned/occupied by Delhi Public School, Hazaribagh, Jharkhand At: Shankarpur, Barkagaon Road Hazaribagh, Jharkhand......................... (name of the Institution) have complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule of State/UT Fire Service Rules, and verified by the officers concerned of Fire Service on...19.4.21..........(date of inspection) in the presence of Chairman, of the School........................ (name and addresses of the Manager/Secretary or his representative) and that the building/premises is fit for occupancy class ......B-II (Sch)... with effect from...10.06.2021 for a period of ..01 year..... years in accordance with rule and subject to compliance of the conditions. or Valid till 31.5.2022

Issued on ......10.6.21......... at .... by

* Strike out whichever is not applicable.

Signature with Seal : Utam 10.6.21 अधिष्ठान अग्निशाम पदाधिकारी

Name : Utam [illegible]

Designation : FSO

Issued on behalf of NOC No: 1057/Tech/2021 Dt: 10.6.21

To

Chairman

Delhi Public School Hazaribagh

Shankarpur, Barkagaon Road, Hazh

(Name & Address of the Institution)

ENDORSEMENT

The No Objection Certificate issued by Fire Service stand cancelled and annulled due to .... (reasons to be recorded).

Payal Bansal.

PRINCIPAL
DELHI PUBLIC SCHOOL
HAZARIBAGH (JHARKHAND)

MANAGER
DELHI PUBLIC SCHOOL
HAZARIBAGH (JHARKHAND)

पत्रांक–1657/Tech/2021

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक–10.06.2021

सेवा में,

Sri Prashant Jaiswal,
Delhi Public School,Hazaribag (Geetanjali Education Trust),
Shankarpur, Barkagaon Road, Hazaribagh.

विषयः– **निर्मित दिल्ली पब्लिक स्कूल हजारीबाग, (गीताजंली एजुकेशन ट्रस्ट) स्कूल हजारीबाग भवन हेतु अग्नि–सुरक्षात्मक अनापत्ति प्रमाण–पत्र के संबंध में।**

आपके द्वारा आनलाईन समर्पित प्रस्ताव के आलोक में निर्मित दिल्ली पब्लिक स्कूल हजारीबाग, (गीताजंली एजुकेशन ट्रस्ट) स्कूल हजारीबाग भवन के अग्नि–सुरक्षात्मक उपायों की भौतिक जाँच प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी, हजारीबाग से कराई गई। उनके ज्ञापांक–152 दिनांक–19.04.2021 के द्वारा समपर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं की गई अनुशंसा के आलोक में निम्न शर्त्तों के अधीन अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाता है कि :–

1. Set–Back Area को हर समय किसी भी प्रकार के अवरोध से पूरी तरह मुक्त रखा जायेगा।
2. स्कूल भवन तक जानेवाली पहुँच पथ को किसी प्रकार से कभी भी बाधित नहीं रखा जायेगा।
3. निर्धारित अन्तराल पर सभी उपकरणों का संधारण सुनिश्चित किया जाय। संधारण के अभाव में ये उपकरण बेकार भी हो सकते हैं।
4. किसी भी Fire Extinguisher को प्रयोग में लाने के बाद उसे तुरन्त रिफिलिंग करा लिया जायेगा।
5. अपातकाल की अवस्था के लिए Escape Routes के साथ–साथ Evacuation Drill के तरीकों की जानकारी का Display समुचित स्थानों पर किया जायेगा तथा हर समय उसे संधारित रखा जायेगा।
6. इस बात का खास ध्यान रखा जायेगा कि कार्य के दौरान किसी भी प्रवेश अथवा निकास द्वार में न तो ताला लगाया जायेगा न हीं बाहर से बोल्ट किया जायेगा।
7. स्कूल भवन में काम करने वाले सभी कर्मियों को अग्निशमन उपकरणों के उपयोग एवं जाँच के तरीको की जानकारी का रहना आवश्यक है।
8. Fire and Evacuation Drill का आयोजन वर्ष में कम से कम दो बार अवश्य किया जाय, जिसमें स्कूल भवन में काम करने वाले सभी कर्मियों को निश्चित रूप से शामिल किया जाय। इस ड्रील में वर्ष में कम से कम एक बार स्थानीय अग्निशमन सेवा को भी शामिल किया जाय।
9. Fire Practices and Evacuation Drill का विस्तृत लेखा एक पंजी में संधारित रखा जाय।
10. First Aid Fire Fighting Arrangements को IS Specifications के अनुसार हर समय अच्छी तरह संधारित एवं तैयारी की हालत में रखा जाय।
11. समय–समय पर Hose Reel Hose एवं Hydrant के पानी को flush-out किये जाने की व्यवस्था की जाय।
12. किसी भी प्रकार की असावधानी अथवा लापरवाही से यदि आगजनी की घटना घटित होती है, तो इसके लिए प्रबंधन स्वयं जवाबदेह होंगे।
13. किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर बीच में भी अनुज्ञप्ति रद्द करने की अनुशंसा की जा सकती है, जिससे होनेवाली किसी भी प्रकार की असुविधा हेतु संबंधित प्रबंधन स्वयं जवाबदेह होंगे।
14. आकस्मिक सेवाओं के टेलीफोन नम्बर का जो डिस्प्ले किया गया है, उसे निर्धारित रखा जायेगा।
15. यह अनापत्ति प्रमाणपत्र दिनांक–31.05.2022 तक के लिये मान्य है।

JAGJEEWAN RAM

Digitally signed by JAGJEEWAN RAM
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF JHARKHAND, ou=HOME JAIL AND DISASTER MANAGEMENT, 2.5.4.20=6e18ddf6a747613d2f4c403b500134ec2902b6bf90be3cc4ac5ffdd851f54d7, postalCode=834002, st=Jharkhand, serialNumber=19585870ee67dbaf143b636d6f0c97a7bc8a01d90f3ec025de5383159f431a70, cn=JAGJEEWAN RAM
Date: 2021.06.10 13:09:20 +05'30'

(जगजीवन राम)
प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।

Payal Bansal.
PRINCIPAL
DELHI PUBLIC SCHOOL
HAZARIBAGH (JHARKHAND)

MANAGER,
DELHI PUBLIC SCHOOL
HAZARIBAGH (JHARKHAND)

ज्ञापांक–**2838**/तक0 / 2020

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक–22वीं दिसम्बर 2020

सेवा में,

Sri Prashant Jaiswal,
Delhi Public School,Hazaribag (Geetanjali Education Trust),
Shankarpur, Barkagaon Road, Hazaribagh.

बिषय :– **मौजा–संकरपुर, प्लाट नं0–154, 155, 155/197, खाता न0–23/51, 46/53, 20, वार्ड नं0–34, थाना–मुफ्फसील, जिला–हजारीबाग में निर्मित दिल्ली पब्लिक स्कूल हजारीबाग, (गीताजंली एजुकेशन ट्रस्ट) स्कूल भवन हेतु अग्नि–सुरक्षात्मक सलाह के संबंध में।**

आपके द्वारा आनलाईन समर्पित प्रस्ताव के आलोक में निर्मित दिल्ली पब्लिक स्कूल हजारीबाग, (गीताजंली एजुकेशन ट्रस्ट) स्कूल भवन की जाँच प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी, हजारीबाग से कराई गई। अपने ज्ञापांक–226, दिनांक– 17.12.2020 के माध्यम से समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं उनके द्वारा की अनुशंसा के आलोक में उक्त निर्मित स्कूल भवन हेतु निम्नांकित अग्नि–सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते है :–

1. निर्मित स्कूल भवन के सामने वाले भाग में कम से कम 50,000 लीटर क्षमता वाले एक अंडरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
2. किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इस टैंक से अग्निशमन वाहनों को पानी लिये जाने हेतु ड्रॉ–आउट कनेक्शन देने की व्यवस्था की जाय।
3. अग्निशमन कार्य हेतु प्रत्येक भवनों में कम से कम दस–दस हजार लीटर क्षमता वाले ओभरहेड वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
4. ओभरहेड टैंक से जुड़ा हुआ भवन के पूर्वी एवं पश्चिमी दिशा के दोनों स्टेयरकेश में वेट राईजर कम डाउन कमर सिस्टम की व्यवस्था की जाय, जिसके प्रत्येक स्टेयरकेश लॉबी में प्रत्येक तलों पर डिलिवरी आउटलेट एवं 30 मीटर लम्बा होज रील होज संस्थापित कराया जाय।
5. निर्मित स्कूल भवन के प्रत्येक तलों पर डिलिवरी आउटलेट के पास एक–एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय, जिसमें दो लेन्थ डिलिवरी होज एवं एक–एक अदद ब्रांच विथ नोजल रखा जाय।
6. अग्निशमन कार्य हेतु निर्मित किये जानेवाले पम्प हाउस में 1620 Lpm क्षमता का एक फायर पम्प संस्थापित कराया जाय।
7. 450ली0 / मि0 क्षमता का टेरेस पम्प लगाने की व्यवस्था की जाय।
8. इन सभी पम्पों को स्वतंत्र विद्युत व्यवस्था से जोड़कर रखा जाय।
9. पंपिंग सिस्टम पॉजिटिव सक्शन वाले रहेंगे।
10. सीढ़ियों को Enclosed Staircase के रूप में निर्मित किया जाय।
11. स्कूल भवन में प्रत्येक स्टेयर केश के प्रत्येक तल पर एक ऐसे मैनुअली ऑपरेटेड इलेक्ट्रोनिक फायर अलार्म लगाये जाने की वयवस्था की जाय। इसके हूटर की आवाज भवन के हर हिस्से में स्पष्ट सुनाई देने में सक्षम हो।
12. स्कूल परिसर में एक फायर बूथ स्थापित किया जाय, जिसमें निम्नलिखित अग्निशमन यंत्र आरक्षित अवस्था में रखा जाय।
    i. DCP Fire Extinguisher 06 kg - 04 Nos.
    ii. Fire Bucket - 04 Nos.
    iii. Water CO_2 Fire Extinguisher 09 Ltr- 04 Nos.
13. निर्मित स्कूल भवन में Travel Distance मानक के अनुरूप होना चाहिए।
14. ...ो को सतही तल पर बैठाये जाने की व्यवस्था की जाय।
...होना चाहिए जो बाहर की ओर खुले।
...हर की ओर खुलने चाहिए।
....5 के0जी0 क्षमता का दो अदद CO_2 Fire Extinguisher से सुरक्षित किया जाय।
18. स्कूल भवन की विद्युत व्यवस्था किसी Licensed Electrician से ही कराये जाँय।

Digitally signed by FARHA FATMI
Date: 2021.04.03 08:57:18 +05:30
Reason: reason
Location: location

Payal Bansal
PRINCIPAL
DELHI PUBLIC SCHOOL
HAZARIBAGH (JHARKHAND)

MANAGER
DELHI PUBLIC SCHOOL
HAZARIBAGH (JHARKHAND)

19. स्कूल भवन में प्रति 400 वर्ग मीटर अथवा उसके भाग के लिए एक की दर से 06 के0जी0 क्षमता का DCP Fire Extinguisher रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
20. स्कूल भवन के प्रत्येक कम्प्यूटर रूम अथवा लैब एवं लाईब्रेरी हो तो उसमें 4.5 के0जी0 क्षमता का दो अदद Co_2 Fire Extinguisher से सुरक्षित किया जाय।
21. स्कूल भवन के किसी भी निकास द्वार को किसी भी परिस्थिति में कभी भी बाधित न किया जाय।
22. स्कूल भवन के किसी भी सेटबैक एरिया को किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार से कभी भी बाधित न किया जाय, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में Fire Tender के Movement में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।
23. स्कूल भवन में मानक के अनुरूप तड़ित चालक लगाने की व्यवस्था की जाए।
24. स्कूल भवन में संस्थापित किये गये अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का विस्तृत प्लान Soft Copy में इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जाँच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे साथ हीं आवेदक अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने से पहले चेक लिस्ट पूरी तरह भरते हुये एक शपथ पत्र समर्पित करेगें कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय द्वारा दिये गये सुझावों का पूरी तरह अनुपालन करा लिया गया है।
25. अग्नि–सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस विभाग से कराने के बाद ही अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जायेंगे।
26. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.2 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से पालन किया जाय।

BANDHU ORAON

Digitally signed by BANDHU ORAON
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF JHARKHAND, ou=HOME JAIL AND DISASTER MANAGEMENT, cn=BANDHU ORAON,
serialNumber=bbb8d056bfb786d39b4c8876db8734d26ec9cfaf87ab115ea2c0348e16ab6005, postalCode=834002,
2.5.4.20=1939424e11492aab227f7c7653cba3d3feeb7bfb517b044a061986ba64a39d09, st=Jharkhand
Date: 2020.12.22 16:39:35 +05'30'

(बन्धु उराँव)
प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।

NISHA JAISWAL

Digitally signed by NISHA JAISWAL
Date: 2021.04.02 16:07:32 +05'30'

Payal Bansal
PRINCIPAL
DELHI PUBLIC SCHOOL
HAZARIBAGH (JHARKHAND)

MANAGER
DELHI PUBLIC SCHOOL
HAZARIBAGH (JHARKHAND)